न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 71/2017जी.सी.एम.एस नम्बर 2017/00100

1. ब्रिजेश कुमार पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद जाति ब्राहमण (मृतक दौराने अपील)
   1/1 श्रीमती बिमला देवी शर्मा पत्नि स्व0 श्री ब्रिजेश कुमार शर्मा, जाति ब्राहमण निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा (जयपुर)
   1/2 मुकेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री ब्रिजेश कुमार शर्मा
   1/3 लोकेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री ब्रिजेश कुमार शर्मा निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा (जयपुर)
   1/4 चन्द्रकला शर्मा पुत्री स्व0 श्री ब्रिजेश कुमार शर्मा पत्नि धर्मवीर जोशी जाति ब्राहम्ण निवासी ढाणी तारूवाला गांव उदावाला, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
   1/5 सुनिता शर्मा पुत्रीश्री ब्रिजेश कुमार शर्मा पत्नि गोकलेन्द्र शर्मा, जाति ब्राहम्ण निवासी सी–17 चन्द्र नगर नो दुकान करधनी थाना कालवाड रोड जयपुर।

–अपीलांट्स

बनाम

1. गीता पत्नि द्वारका प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी टटेरा तहसील नीम का थाना जिला सीकर हाल श्याम कॉलोनी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

–रेस्पोडेन्ट

2. ग्राम पंचायत रामपुरा जरिये संरपच ग्राम पंचायत रामपुरा तहसील शाहपुरा जयपुर।
3. ग्राम पंचायत रामपुरा जरिये सचिव ग्राम पंचायत रामपुरा तहसील शाहपुरा जयपुर।
4. श्रीमति दिप्ती चण्डपोक पत्नि देवेन्द्र कुमार चण्डपोक जाति पंजाबी निवासी एफ 47 बी प्रथम मंजिल मोती नगर पश्चिमी दिल्ली 110015 निदेशक नार्थ वैस्ट टाउन प्लानर्स प्रा० लि०
5. तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
6. उप पंजीयक तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

–तरतीबी रेस्पोडेंट्स

द्वितीय अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर दिनॉक 01–6–2016 जिसके द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तकरण संख्या 62 दिनांक 11–12–2001 को निरस्त कर दिया गया, अन्तर्गत धारा 76 लैण्ड रेवन्यू एक्ट।

उपस्थित–

1. श्री लालचन्द जाट वकील अपीलान्ट
2. श्री महेश चन्द शर्मा वकील रेस्पोडेन्ट 4 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता 5 व 6 की ओर से।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक–30.05.2024

1. यह अपील राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर के आदेश दिनांक 01.06.2016 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर के समक्ष वाके ग्राम गिरधरपुराके आराजी खसरा नं. 716/3 रकबा 0.50 है0, 717/1.25 है0 के ग्राम पंचायत रामपुरा द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 62 को गलत बताते हुये अपील प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 62 ग्राम गिरधरपुरा को निरस्त करतहसीलदार शाहपुरा को मृतक खातेदार गुल्ली बेवा भूरामल के विधिक वारिसान की जांच कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित दिया जाकर बाद सूचना नियमानुसार गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने के आदेश दिनांक 01.06.2016 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 01.06.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट ब्रिजेश कुमार पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी शाहपुराके निर्णय दिनांक 01.06.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया किग्राम गिरधरपुरा के आराजी खसरा नं. 716/3 रकबा 0.50 है0, 717/1.25 है0 के खातेदार श्रीमती गुल्ली देवी के फौत होने पर ग्राम पंचायत रामपुरा द्वारा बाद जॉच विधिवत् वारिस के नाम नामान्तरकरण संख्या 62 तस्दीक किया गया है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 गीता देवी की ओर से तथाकथित रूप से अपने आपको मृत्तका श्रीमति गुल्ली देवी की वारिस बताते हुए अपील प्रस्तुत की तथा इन्होने योग्य उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपनी मीमों ऑफ अपील में मृत्तका गुल्ली देवी के अन्य कई व्यक्तियों को तथाकथितरूप से वारिस बताया है लेकिन उन्होने अपनी अपील मे उन तथाकथित व्यक्तियों को पक्षकार बनाये बगैर ही अपने स्वयं के कथनाअनुसार अपूर्ण अपील प्रस्तुत कीअधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्रावली को लोक अदालत मे रखी गई थी तथा लोक अदालत मे दौनो पक्षकारान द्वारा राजीनामें या सहमति के आधार पर करवाये गये निर्णय ही किये जा सकते है।योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक प्रावधानों के विपरित अपीलान्ट द्वारा विरोध करने के बावजूद भी अपीलान्ट की बिना बहस सुने व बिना वास्तविक तथ्यों को समझे अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कि लोक अदालत की भावना के कतई विपरित है इसलिए अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने अपीलान्ट के वास्तविक तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए वास्तविक तथ्यों के विपरित अपीलाधीन नामान्तकरण के तस्दीक होने के 15 वर्ष की लम्बी अवधि के पश्चात् की गई अपील को बिना किसी आधार के स्वीकार फरमाकर विधिक भूल की है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी तथ्यों पर गौर किये बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये

अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर दिनांक 01.06.2016 निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया किप्रार्थीया की माता गुल्ली देवी के हाल खसरा नं. 716/3/0.50, 717/1.25 हे0. वाकै ग्राम गिरधरपुरा प. हल्का रामपुरा तहसील शाहपुरा की खातेदार काश्तकार थी/प्रार्थीया की माता गुल्ली देवी की दिनांक 26.02.2000 को मृत्यु पश्चात अपीलार्थी मृतक गुल्ली देवी की पुत्री होने के नाते हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् प्रथम श्रेणी की विधिक उत्तराधिकारी है, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा बिना विधिक वारिसान की जांच किए अपीलार्थी को बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिये नामान्तकरण संख्या 62 दिनांक 11.12.2001 खुलवा लिया जो विधि विरूद्ध व न्याय के प्राकृतिक विद्वानों के विपरीत होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है इस पर पटवारी हल्का के कोई हस्ताक्षर नहीं है, न हीं नामान्तरकरण में गुल्ली के विरासत में किसी प्रकार कर दत्तक पुत्र होने का कोई दस्तावेज का अंकन है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा विधिवत् सभी तथ्यों व रिकॉर्ड के जॉच पश्चात् ही नामा0 संख्या 62 को निरस्त किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अतः न्यायहित में अपीलांट का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से नकल देरी से प्राप्त करने के कारण अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद मृतक खातेदार गुल्ली देवी पत्नि भूरामल की विरासत को लेकर है। गुल्ली देवी की मृत्यु उपरान्त ग्राम पंचायत रामपुरा द्वारा नामान्तरकरण सं0 62ग्राम गिरधरपुराजायन्दा पुत्री के नाम नामा0 तस्दीक ना किया जाकर केवल प्रार्थी श्री ब्रिजेश कुमार को दत्तक पुत्र मानते हुये स्वीकार किया गया। जिसकी अपील मृतक खातेदार की पुत्री रेस्पो0 संख्या 1 गीता देवी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण संख्या 62 को निरस्त कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने के आदेश दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् पुत्रियों को बराबर हक व अधिकार दिये गये हैं। पुत्रियों के हक अधिकार को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत रामपुरा द्वारा केवल अपीलांट के नाम नामान्तरकरण संख्या 62 तस्दीक किये जाने की विधिक त्रुटि की है। पैतृक भूमि की विरासत का नामा0 विधिक जायज वारिसान के नाम ही खोला जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार विधिक वारिसान की जांच कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित दिया जाकर बाद सूचना नियमानुसार गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्मत् है।इसमें किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। इसमें हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समक्षते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 01.06.2016 यथावत रखा जाता है।

(डॉ आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर